"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 600] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 नवम्बर 2014 — कार्तिक 26, शक 1936

राज भवन

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-53/2011/नौ/55-तीन. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(च-1) "चयन समिति" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परिधि से पृथक पदों के लिए चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित समिति,"

2. नियम 8 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (त्र) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ट) राज्य में संविदा पर कार्यरत आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 15 वर्ष तक की छूट दी जायेगी :

परन्तु संविदा के आधार पर छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिये, किसी भी मामले में उनकी आयु, 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी."

3. नियम 11 के उप-नियम (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाए.

4. नियम 11 के उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (कार्य परिसीमन) विनियम, 1957 के अधीन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परिधि से, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-31/2012/1/एक, दिनांक 14 फरवरी 2014 द्वारा पृथक पदों हेतु चयन, भर्ती नियमों में यथा उल्लिखित रीति से किया जायेगा तथा इस प्रकार पृथक पदों को, चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची से राज्य शासन द्वारा भरा जायेगा :

परन्तु यह और है कि राज्य में संविदा आधार पर कार्यरत आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारी को, एक पूर्ण वर्ष (365 दिवस) के अनुभव के लिये 2% बोनस अंक दिया जायेगा, किन्तु यह किसी भी दशा में 30% से अधिक नहीं होगा."

इस अधिसूचना को ऐसे पढ़ा जायेगा एवं अर्थ लगाया जायेगा जैसे कि पूर्वोक्त संशोधन उसमें हुआ ही नहीं था.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 2-53/2011/नौ/55-तीन. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th November 2014

NOTIFICATION

No. F 2-53/2011/IX/55-3.— In exercise of the powers, conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Health (Indian System of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After clause (f) of rule 2, the following shall be inserted, namely :-

   "(f-1) "Selection Committee" means Committee constituted by the State Government for selection to the posts exempted from the purview of the Chhattisgarh Public Service Commission,"

2. After Sub-clause (j) of clause (1) of Rule 8, the following shall be inserted, namely :-

   "(k) The upper age limit shall be relaxable up to 15 years in respect of Ayurved/Homeopathy/Unani Contractual Medical Officers working in the State :

   Provided that for the candidates getting relaxation on the basis of contract, in any case their age shall not exceed 55 years."

3. In sub-rule (1) of rule 11, for the punctuation full stop "." , the punctuation colon ":" shall be substituted.

4. After sub-rule (1) of rule 11, the following shall be inserted, namely :-

   " Provided that selection to the posts exempted, vide General Administration Department's Notification No. F 6-31/2012/1/One, Dated 14th February, 2014, from the purview of the Chhattisgarh Public Service Commission under the Chhattisgarh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1957, shall be made in manner as mentioned in recruitment rules and the posts so exempted shall be filled up by the State Government from the select list prepared by the Selection Committee :

   Provided Further that, Ayurved/Homeopathy/Unani Medical working Officers on Contractual basis in the State shall be given 02% Bonus marks for experience of one complete year (365 days), but in no case it shall exceed 30%."

This notification shall be read and construed as if the aforesaid amendment was not made therein.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. RATRE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.